पत्रांक-3ए-2(वे०पु०)-01/2010-**7794** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**23/10/2018**

विषय:- **राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामलों पर विचार हेतु गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति पुनर्गठन के सम्बन्ध में।**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5972, दिनांक-07/08/2018 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामलों पर विचार करने के लिए गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति में श्री रॉबर्ट एल०चौंग्थू, सचिव शिक्षा विभाग को सदस्य सचिव नामित किया गया था।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा श्री चौंग्थू को शिक्षा विभाग से प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के पद पर स्थानान्तरित किया गया है, जिसके कारण समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25/09/2018 में मद संख्या-08 के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गई:-

"श्री रॉबर्ट एल० चौंग्थू, सचिव, शिक्षा विभाग के स्थान पर श्री मनोज कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग को वेतन विसंगति निराकरण समिति का सदस्य सचिव नामित किया जाता है। भविष्य में समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/सदस्य, के स्थानान्तरण/प्रोन्नति आदि की स्थिति में उनके स्थान पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से नामित कर समिति का पुनर्गठन किया जा सकेगा।"

3. इसी बीच श्री मनोज कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग का भी स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग का पदस्थापन हुआ है।

4. सम्यक् विचारोपरान्त श्री रॉबर्ट एल० चौंग्थू, सचिव, शिक्षा विभाग के स्थान पर श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग को वेतन विसंगति निराकरण समिति का सदस्य सचिव नामित किया जाता है। भविष्य में समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/सदस्य, के

स्थानान्तरण/प्रोन्नति आदि की स्थिति में उनके स्थान पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से नामित कर समिति का पुनर्गठन किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2(वे०पु०)-01/2010 -**7794**/वि० पटना, दिनांक-**23/10/2018**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2(वे०पु०)-01/2010 -**7794**/वि० पटना, दिनांक-**23/10/2018**

प्रतिलिपि- समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/ सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।